

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 19/03/2016

संख्या-3/विविध-01-20/2014

/स्वा0, असैनिक शल्य

चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर के अवकाश पर रहने की अवधि के लिये अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, भागलपुर का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

2. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर के अवकाश से कर्तव्य पर लौटने/योगदान करने के उपरान्त यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

ह0/-

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/विविध-01-20/2014

192 (3)

/स्वा0, पटना, दिनांक 19/03/2016

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/जिलाधिकारी, भागलपुर/क्षेत्रीय अपर निदेशक, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक-सह-सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 7, 8, 9, 10 एवं 12/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव